के.के.शर्मा

बनाम

दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य.

(2012 की सिविल अपील संख्या 5838)

15 दिसंबर 2014

[रंजन गोगो गई तथा आर.के. अग्रवाल, जे.जे.]

सेवा कानून

पदोन्नति - वर्ष 1988 में सेवा नियमों में संशोधन, जिसमें कोषागार/यूडीसीएस के पदों से 'वरिष्ठ न्यायिक सहायकों' (एसजेए) के पद पर 100% पदोन्नति प्रदान की गई, जिसे 'जूनियर अनुवादकों' द्वारा रिट याचिका में इस आधार पर चुनौती दी गई कि संशोधन से उनका पदोन्नति का रास्ता प्रभावित हुआ। आदेश दिनांकित 16.10.1998 रिट याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिपादित किया गया कि संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 का उल्लंघन होने से शून्य था। जूनियर अनुवादकों द्वारा एक अन्य रिट याचिका उनकी वरिष्ठता एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में निर्णय दिनांकित 16.10.1998 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में की गई।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.10.2009 के आदेश द्वारा केवल कनिष्ठ अनुवादकों के संबंध में पदोन्नति की सीमित समीक्षा का निर्देश दिया,

जिन्होंने आदेश दिनांक 16.10. 1998 को लागू करने में देरी के मद्देनजर अदालत का रुख किया था। दिनांक 23.10.1998 के आदेश के कार्यान्वयन से प्रभावितों द्वारा रिट याचिका इस आधार पर की गई कि उनकी पदोन्नति व वरिष्ठता अनिश्चित रही, क्योंकि वे एसजेए वर्ग से नहीं थे।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 1.6.2012 के आदेश द्वारा निर्देश दिया कि कनिष्ठ अनुवादकों की पदोन्नति उनकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर की जाएगी और आगे कहा कि इस निर्देश से सेवा में मौजूदा लोगों के बीच असंतुलन पैदा होने की भी संभावना है।

2012 की सिविल अपील संख्या 5838:

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि

1. उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23.10.2009 और 01.06.2012 के दोनों आदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों से कनिष्ठ अनुवादकों को मिलने वाले कानूनी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए स्थिति को संतुलित करने का प्रयास हैं जिनके कार्यान्वयन और न्यायसंगत की आवश्यकता है उन विचारों के आधार पर अपीलकर्ताओं के मामलों का निर्णय किया जाना आवश्यक है, जो दोषी नहीं हैं। विवादित आदेश कानून की बाध्यता और समता के बीच संतुलन बनाते हैं। "कानून, सामाजिक न्याय के एक साधन के रूप में, इतिहास के पापों को बेअसर करने के लिए एक लंबी नज़र रखता है"। यदि सेवा नियमों की संवैधानिकता को

"व्यक्तियों के भाग्य की कसौटी पर" नहीं आंका जा सकता है और सेवा नियम बनाने में सर्वोपरि विचार परस्पर विरोधी दावों का समाधान है, तो न्यायिक कार्यान्वयन के "हल्के संस्करण" से न्यायसंगत अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो आदेश कानून में अंतिम रूप ले चुके हैं, वे संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र को आमंत्रित नहीं कर सकते। अतः उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2012 में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। [पैरा 13 और 14][957-एच; 958-ए-ई] तमिलनाडु शिक्षा विभाग मंत्रिस्तरीय और सामान्य अधीनस्थ सेवा संघ और अन्य। बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य। 1980 (1) एससीआर 1026: (1980) 3 एससीसी 97; कमल कांति दत्ता और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य.1980 (3) एससीआर 811:

2. दिनांक 23.10.2009 के आदेश में यह निहित है कि जिन लोगों को गलती से पदोन्नत किया गया है, उनके प्रत्येक चरण की समीक्षा की जानी चाहिए। एओजे/सीएम के कैडर में निर्देशित सीमित समीक्षा को उन सभी उच्च कैडरों में जारी रखा जाना चाहिए, जिनमें एओजे/सीएम के कैडर में प्रारंभिक पदोन्नति के आधार पर पदोन्नति की गई हो सकती है।

[पैरा 15] [958-एफ-जी]

भारत संघ एवं अन्य बनाम के.बी. राजोरिया 2000 (2) एससीआर

613: (2000) 3 एससीसी 562-पर निर्भर।

2012 की सिविल अपील संख्या 5839:

3. वर्तमान अपील में अपीलकर्ता दिनांक 23.10.2009 के आदेश के कार्यान्वयन की मांग करता है और उक्त आदेश में किए गए संशोधनों से व्यथित है। आक्षेपित आदेश दिनांक 01.06.2012 द्वारा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 01.06.2012 के आदेश की पुष्टि की गई है और अपीलकर्ता भी इस बीच सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है, यह अपील समाप्त की जाती है। [पैरा 17,18][959-डी-एफ]

2014 की सिविल अपील संख्या 11197:

4. रिट याचिकाकर्ताओं (जूनियर ट्रांसलेटर) के साथ समानता के अपीलकर्ताओं के दावे पर उच्च न्यायालय ने विचार किया है और माना है कि दोनों अपीलकर्ता रिट याचिकाकर्ताओं के बराबर रखे जाने के योग्य नहीं थे। उक्त निष्कर्ष पदाधिकारियों की नियुक्तियों की तारीखों पर विचार करने के बाद निकाले गए हैं; एसजेए के कैडर में उनकी परिणामी पदोन्नति; और इससे भी अधिक, एओ(जे)/सीएम के पद पर चयन में उनकी सफलता/परिणाम। इसलिए, उच्च न्यायालय के दिनांक 01.06.2012 के आदेश के प्रासंगिक भाग में कोई त्रुटि नहीं है जिससे हस्तक्षेप को उचित ठहराया जा सके। [पैरा 19,20][960-ए-सी]

केस कानून संदर्भ

1980 (1) एससीआर 1026 पैरा 14 पर निर्भर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्याएँ (एस.) 2012 का 5838.

2010 के सीएम नंबर 22133 और 2004 के डब्ल्यूपी (सी) नंबर 4077-84 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01-06-2012 से साथ 2012 की सिविल अपील संख्या 5839 और 2014 की 11197

वी. गिरी, सिद्धार्त लुथरा वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम नारायण, सुश्री अस्मिता सिंह, के. विजय कुमार, अरविन्द कुमार शर्मा, सौरभ मिश्रा, सुश्री आशा जैन मदान, अमित मिश्रा, पवन कुमार बहल, बी. विजय कुमार, गगन गुप्ता, वरूण सिंह, सुश्री सी.के. सुचित्रा, सलाह उपस्थित पक्षकारों के लिए

न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय और आदेश प्रदान किये गये।

<u>निर्णय</u>

रंजन गोगोई, जे.

1. न्यायसंगत दावों और कानून की मांगों के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए यह न्यायिक प्रणाली की निरंतर खोज है। यह अपने आप में नाजुक और जटिल है, यदि किसी प्रस्ताव को स्थगित कर दिया जाए तो कार्य और भी कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। समय, अक्सर, न्यायसंगत दावों को मजबूत करने और संबंधित कानूनी अधिकारों को

धुंधला करने का प्रभाव डालता है। वर्तमान मामले में ठीक यही हुआ है, जिसमें हमें अपने कर्मचारियों से जुड़ी स्थिति में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उत्तर की शुद्धता पर निर्णय लेने के लिए बुलाया गया है।

2012 की सिविल अपील संख्या 5838

2. दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 1972 (इसके बाद संक्षेप में 'नियम') 1.9.1972 से लागू हुए। सहायकों के पद को भरने के लिए नियमों में 100% चयन का प्रावधान किया गया [बाद में सेवा। 1978 में यानी 20.9.1978 से एसजेए के पद को 50% की सीमा तक भरने के लिए पदोन्नति के अवसर प्रदान करके नियमों में संशोधन किया गया था। ऐसी पदोन्नति न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा वाले कोषाध्यक्षों/यूडीसी के कैडर से वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर की जानी थी, बी कैडर का शेष 50% पहले की तरह चयन द्वारा भरा जाना था। एक दशक बाद यानी 16.3.1988 से 5 साल की सेवा वाले कोषाध्यक्षों/यूडीसी से एसजेए के पद पर 100% पदोन्नति प्रदान करने के लिए नियमों में एक बार फिर संशोधन किया गया। पदोन्नति के मापदंड वही रहे अर्थात वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता.

3. दो कनिष्ठ अनुवादकों, अतुल कुमार शर्मा और एम.एम. बेग ने एक रिट याचिका यानी सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 1218/1989 दायर करके वर्ष 1998 में किए गए नियमों के संशोधन को चुनौती दी। संक्षिप्त आधार पर

यह आग्रह किये गये थे कि पदोन्नति संवर्ग में पदों की सीमित संख्या को देखते हुए वरिष्ठ अनुवादकों के संवर्ग में कनिष्ठ अनुवादकों के लिए पदोन्नति का रास्ता बेहद सीमित है, संवर्ग में सभी पदों को भरने के लिए नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। कोषाध्यक्षों/यूडीसी के कैडर से पदोन्नति द्वारा एसजेए ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत रिट याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को ठेस पहुंचाई क्योंकि उक्त ई संशोधन ने जूनियर अनुवादकों को उच्च समकक्ष पद यानी एसजेए में आगे बढ़ने के अवसर से वंचित कर दिया था।

4. रिट याचिका का निपटारा दिनांक 16.10.1998 को निम्नलिखित शर्तों में किया गया -

> "हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है कि 16.03.1988 को लागू किया गया संशोधन, जहां तक इसने जूनियर अनुवादक की सेवा शर्तों को प्रभावित किया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने वाले कानून में शून्य है और तदनुसार इसे शून्य घोषित किया जाता है। उच्च न्यायालय उस नियम का पालन करेगा जो संशोधन की तारीख, अर्थात् 16.03.1988 से पहले जूनियर अनुवादकों को भी सहायक/जूनियर रीडर/केयरटेकर के पद पर पदोन्नति के अवसर प्रदान करता है।"

5. चूंकि रिट याचिका यानी ए सी.डब्ल्यू.पी. 1989 की संख्या 1218 में अंतरिम आदेश था कि लंबित अवधि के दौरान की गई पदोन्नति अंतिम आदेशों के अधीन होगी जैसा कि रिट याचिका में पारित किया जा सकता है, परिणामी राहत और की गई पदोन्नति की समीक्षा सहित वरिष्ठता के समायोजन का प्रश्न निर्णय के लिए उठा। निर्णय को लागू करने के लिए किए गए प्रयास, स्पष्ट रूप से, रिट याचिकाकर्ताओं (बाद में "जूनियर अनुवादकों" के रूप में संदर्भित) को संतुष्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण रिट याचिकाओं के एक अन्य सेट यानी डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 4077-2004 का 84 के माध्यम से उच्च न्यायालय में दूसरी बार जाना पड़ा। जहां तक कनिष्ठ अनुवादकों की वरिष्ठता और पदोन्नति का संबंध है, उपरोक्त रिट याचिकाओं में मुख्य राहत सी.डब्ल्यू.पी. 1989 की संख्या 1218 में दिनांक 16.10.1998 के फैसले के कार्यान्वयन के लिए मांगी गई थी।

6. उपरोक्त रिट याचिकाओं यानी डब्ल्यू.पी. (सी) 2004 की संख्या 4077-84 का निपटारा करने वाले उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के दिनांक 23.10.2009 के आदेश में अंतराल के दौरान क्या हुआ, इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। उक्त तथ्यों को एक बार फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां तक वर्तमान अपील में उठाए गए मुद्दों का संबंध है, निम्नलिखित तथ्यों और घटनाओं पर ध्यान देना होगा।

(i) कनिष्ठ अनुवादक के कैडर से एसजेए में कुछ पदोन्नति (संख्या

में 2 या 3) 16.08.2000 को आयोजित एक विभागीय परीक्षा (चयन) के आधार पर की गई थी।

(ii) हालांकि कुछ अन्य कनिष्ठ अनुवादकों ने, एसजेए के कैडर में सैद्धांतिक रूप से पदोन्नत होने के बाद, 09.09.2000 और 25.08.2001 को आयोजित एओजे/सीएम के कैडर में पदोन्नति की प्रक्रिया में भाग लिया था 1989 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 1218 में दिनांक 16.10.1998 के आदेश के कार्यान्वयन के लिए न्यायाधीशों की एक समिति)(द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार), जहां तक उपरोक्त कनिष्ठ अनुवादकों का संबंध है, चयन को अंतिम रूप नहीं दिया गया था क्योंकि उनका साक्षात्कार नहीं हुआ था। उसी चयन में भाग लेने वाले को वर्ष 2002 में एओजे/सीएम के कैडर में पदोन्नत किया गया था। उपेक्षित कनिष्ठ अनुवादकों को बाद में उसी कैडर में पदोन्नत किया गया था।

(iv) 1988-2000 के बीच, एसजेए के कैडर में 81 पद वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के मानदंडों के आधार पर पदोन्नति द्वारा विशेष रूप से भरे गए थे। विभागीय परीक्षा (चयन) के आधार पर कोई पदोन्नति नहीं की गयी।

(v) हालाँकि 2000 के बाद 94 पदोन्नतियाँ की गईं विभागीय परीक्षाओं के आधार पर कुल संख्या वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति 115 रही। 7 उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, डब्ल्यू.पी. (सी) क्रमांक 4077-84/2004 की खंडपीठ द्वारा उच्च न्यायालय

ने अपने आदेश दिनांक 23.10.2009 द्वारा उत्तर दिया गया। उक्त आदेश देते समय, डिवीजन बेंच ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि आदेश दिनांक 16.10.1998 को सी.डब्ल्यू.पी. का निपटारा किया गया था। 1989 की संख्या 1218 में पदधारियों को बड़े पैमाने पर पदावनत करने का आह्वान किया गया। हालाँकि यह आगे स्वीकार किया गया कि इस तरह का अभ्यास प्रासंगिक समय पर उचित और उचित हो सकता था, समय बीतने के साथ यह हानिकारक प्रभाव को देखते हुए अव्यावहारिक हो गया कि देर से ही सही, इस तरह के अभ्यास का लोगों पर पड़ना तय था। उच्च न्यायालय प्रशासन. साथ ही कनिष्ठ अनुवादकों के अधिकारों को मान्यता देना और दिनांक 16.10.1998 के आदेश को लागू करने के अपने कर्तव्य के तहत, उच्च न्यायालय ने अंतर-वरिष्ठता और परिणामी पदोन्नति की सीमित समीक्षा की कल्पना करके स्थिति से निपटने के लिए एक रूपरेखा विकसित की। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केवल कनिष्ठ अनुवादक ही दोनों मामलों में उच्च न्यायालय गए थे। रिट याचिकाओं के जी सेट में, उच्च न्यायालय ने जूनियर अनुवादकों के संबंध में अभ्यास को सीमित कर दिया और पूरे पैमाने पर समीक्षा के बजाय, 81 पदों (20 पदों) में से 20% की सीमा तक सीमित समीक्षा का निर्देश दिया, जो विशेष रूप से भरे गए थे।

> "(1) 1988-2000 के दौरान एसजेए कैडर में 81 रिक्तियां भरी गईं, जिनमें से 40 पद विभागीय परीक्षाओं के माध्यम

से भरे जाने चाहिए थे;

(2) कुल 115 रिक्तियां वरिष्ठता सह उपयुक्तता मानदंड के आवेदन के माध्यम से भरी जा रही हैं, और 94 विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से (2004 में दी गई पदोन्नति की शुद्धता की अनदेखी करते हुए, 20 उम्मीदवारों को, जिन्होंने वर्ष 2000 में प्रतिस्पर्धा की थी, और किसी की अनुपस्थिति में) प्रतीक्षा सूची का प्रावधान - अपने आप में एक गंभीर अनियमितता है, लेकिन प्रतिकूल आदेश के योग्य नहीं है, क्योंकि यह इस याचिका का विषय नहीं है), इस प्रकार इसका अर्थ यह है कि 50% विभागीय परीक्षा कोटा हिस्से में कम से कम 20 रिक्तियां आनी चाहिए थीं ।

(3) सभी याचिकाकर्ताओं ने, 1987 और 1996 के बीच, बहुत पहले ही वरिष्ठ अनुवादक के उच्च कैडर में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली थी;

(4) याचिकाकर्ताओं ने लंबे वर्षों की सेवा की है, और उनमें से अधिकांश को संयुक्त वरिष्ठता सूची में समकक्ष ग्रेड के लोगों से वरिष्ठ माना गया है।

41. आज, केवल कनिष्ठ अनुवादक (उनमें से अधिकांश को बाद की तारीखों में वरिष्ठ अनुवादक के रूप में पदोन्नत

किया गया, और कुछ को एओजे/सीएम के उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया) न्यायालय के समक्ष हैं। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की राय है कि 1988-2000 के दौरान भरे गए कम से कम 20% पदों (यानी उस दौरान भरे गए 81 रिक्त पदों) के संबंध में समीक्षा होनी चाहिए। हालाँकि फैसले के सख्त कार्यान्वयन का मतलब 50% पदों, या 40 ऐसी पदोन्नति (जैसा कि 2002 की बाद की समिति द्वारा अनुशंसित) के संबंध में समीक्षा होगी, फिर भी चूंकि केवल कनिष्ठ अनुवादक का कैडर इस समीक्षा की मांग कर रहा है, इसलिए अदालत की यह राय है कि 50% विभागीय परीक्षा कोटा के विरुद्ध यदि उन रिक्तियों में से 20% को भर दिया जाए तो न्याय के लक्ष्य संतुष्ट हो जाएंगे, जैसा कि मामले में हो सकता है, भरा हुआ माना जाएगा। इन रिक्तियों को निम्नलिखित तरीके से भरा जा सकता है, या भरा हुआ माना जा सकता है।

(1) सबसे पहले, कनिष्ठ अनुवादकों के संवर्ग से, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के अनुसार, बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति के पास नियमों में निर्धारित आवश्यक 5 वर्ष का अनुभव हो (प्रासंगिक निर्धारित ग्रेड में) - बिना अर्हता प्राप्त किए कोई और परीक्षण

(2) कनिष्ठ अनुवादक संवर्ग को समायोजित करने के बाद शेष रिक्तियां - जो लगभग आठ होंगी, एक विशेष समीक्षा विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी, जहां प्रासंगिक अवधि के दौरान, यानी 1988- के दौरान विचार किए जाने के हकदार और इस उद्देश्य के लिए पात्र होंगे। अकेले 2000 को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी। सफल लोगों को अंतिम 8 स्लॉट में समायोजित किया जाएगा।

(3) उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए पदोन्नति, काल्पनिक होगी; पदधारी वेतन के बकाया के हकदार नहीं होंगे, बल्कि केवल ग्रेड में परिणामी निर्धारण/फिटमेंट के हकदार होंगे।

42. उपरोक्त निर्देशों को प्रभावी करते हुए उत्तरदाताओं को यह प्रयास करना चाहिए कि यहां कोई प्रत्यावर्तन नहीं है। यदि वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत हुए लोगों को वापस करने की जरूरत हाे तो निवर्तमान एसजेए की नियुक्ति को काल्पनिक रूप से नीचे धकेल दिया जाएगा । साथ ही, उनसे किए गए वेतन या भत्ते की कोई वसूली नहीं की जाएगी। यदि ऐसे किसी एसजेएएस को चयन के आधार पर पदोन्नत किया गया है, तो हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उन्हें प्रत्यावर्तन का सामना न करना पड़े और इसके बजाय, उनकी पदोन्नति की तारीखें स्थगित कर दी जाएं। नियमों के तहत प्रतिष्ठान की अवशिष्ट शक्तियों का सहारा लेकर उचित आदेश दिए जाएंगे।

43. समस्या का दूसरा पहलू - जो याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया दावा भी है, एओजे/सीएम के पद पर उनकी पदोन्नति है। हालाँकि उनमें से लगभग सभी को अब उस कैडर में पदोन्नत कर दिया गया है, लेकिन इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि एसजेए में पदोन्नति और अतुल कुमार के कार्यान्वयन के संबंध में एक दशक लंबे अंतराल या गतिरोध के परिणामस्वरूप उनके दावों पर विचार स्थगित हो गया है। रिकॉर्ड की बात यह है कि याचिकाकर्ताओं को 09.09.2000 को (उनमें से दो के मामले में) और 21.08.2001 को अन्य के मामले में एओजे/सीएम में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि याचिकाकर्ता को छोड़कर सभी को लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया था और 19.09.2001 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। हालाँकि, उनका साक्षात्कार नहीं लिया गया और एसजेए कैडर के लोगों सहित अन्य को आठ रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया गया। पहला प्रतिवादी इस पहलू की व्याख्या नहीं करता है। याचिकाकर्ताओं को बाद में एओजे/सीएम के रूप में पदोन्नत किया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है; उन्हें वह दिया गया जो उनका हक़ था।

44. उत्तरदाताओं का तर्क है कि याचिकाकर्ता एक अस्थिर राहत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि एसजेए में उनकी पदोन्नति और आवश्यक पांच साल की सेवा के बिना, उन्हें आगे की पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है, जो नियम की स्थिति के अनुरूप प्रतीत होता है। हालाँकि,

इस न्यायालय को अब उस स्थिति के संबंध में शासन करने के लिए कहा जाता है जहां प्राधिकरण ने, समय पर पांच अलग-अलग बिंदुओं पर, नियमों का पालन नहीं किया; इनमें से कम से कम दो मामलों में, एसजेए कैडर में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित न करने का वास्तव में कोई बहाना नहीं था। प्रासंगिक रूप से, एओजे/सीएम के कैडर के संबंध में, याचिकाकर्ता सफल थे। उत्तरदाताओं ने अपनी भागीदारी को सक्षम करने के लिए एक पूरक परीक्षा भी आयोजित की। फिर भी, बेवजह, उनका साक्षात्कार लिया गया। न्यायालय उनके "खोए हुए अवसर" को बहाल करने के लिए बाध्य है क्योंकि उनकी बाद की पदोन्नति उन लोगों की तुलना में उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है जिन्हें समय पर पदोन्नत किया गया था, और जिन्होंने उक्त पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लिया था। इस संदर्भ में, राजोरिया (सुप्रा) की टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयुक्त होगा: "कृष्णमूर्ति को काल्पनिक पदोन्नति उस गलती को सुधारने के लिए दी गई थी जो 22-2-1995 को उनके अधिक्रमण द्वारा उनके साथ की गई थी। यदि कृष्णमूर्ति को इस तरह के आधार पर महानिदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार से वंचित किया जाता है काल्पनिक पदोन्नति, विशेष रूप से जब प्रासंगिक प्रावधान प्रदान किए जाते हैं, तो इसका परिणाम उसके साथ किए गए गलत को बरकरार रखना होगा। उच्च न्यायालय ने ठीक यही किया है।"

45. उपरोक्त के मद्देनजर, उत्तरदाताओं को एओजेएस/सीएम के कैडर

में याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति की समीक्षा करने और पिछली प्रत्येक तारीख पर मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है, जब डीपीसी उनकी वास्तविक पदोन्नति से पहले आयोजित की गई थी। यह स्पष्ट किया गया है कि यह निर्देश याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति की तारीखों की समीक्षा करने तक ही सीमित है, क्योंकि उन्हें पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है, और यह प्रक्रिया उन लोगों के साथ-साथ उनके मामलों पर विचार करने तक सीमित होगी जिन्हें उन संबंधित तिथियों पर पदोन्नत किया गया था। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि कोई प्रत्यावर्तन न हो, और यदि किसी को पद पर अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसकी पदोन्नति को बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, और ऐसी पदोन्नति को बाद की रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

46. इसलिए, रिट याचिकाएँ सफल होने की हकदार हैं, उन्हें इस निर्णय के पैरा 40-44 में निहित निर्देशों के अनुसार अनुमति दी जाती है। हालाँकि ओनेट पर कोई आदेश नहीं होगा"।

8. उपरोक्त निर्देशों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय प्रशासन के प्रयास ने अपीलकर्ताओं को यह तर्क देने के लिए सबसे आगे ला दिया कि चूंकि वे एसजेए (वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक/न्यायालय अधिकारी/लेखाकार) के अलावा अन्य श्रेणियों से संबंधित थे और उन्हें एओजे सीएम के कैडर में अन्य फीडर श्रेणियों से पदोन्नत किया गया

था। डब्ल्यू.पी. (सी) 2004 की संख्या 4077-84 के दिशा निर्देश में उन्हें अस्थिर करने की क्षमता थी और वह भी उन्हें सुने बिना, जबकि वे कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे। उस समय जब अपीलकर्ताओं ने सी.एम. को स्थापित करके उपरोक्त प्रश्न उठाया था। 2010 की संख्या 22133 वे एओजे/सीएम के कैडर या सहायक रजिस्ट्रार के उच्च कैडर में थे। हमारे सामने रखी गई सामग्री से संकेत मिलता है कि अपीलकर्ताओं को सेवा में और भी ऊंचे पदों पर पदोन्नति दिए जाने से समय के साथ उपरोक्त स्थिति भी बदल गई है। यह वर्तमान अपील में हमारे सामने मौजूद मुद्दों की व्यापकता का संकेत देगा।

9. अपीलकर्ताओं का दावा है कि प्रत्येक संवर्ग में पदोन्नति में उनकी वरिष्ठता, जिसमें उन्हें समय-समय पर पदोन्नत किया गया है, निर्बाध बनी हुई है और एओजे/सीएम के संवर्ग में आए कनिष्ठ अनुवादकों के पक्ष में निर्देशों से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। एसजेए के कैडर से, जिस कैडर से अपीलकर्ता किसी भी तरह से संबंधित या जुड़े हुए नहीं हैं।

10. उच्च न्यायालय के प्रशासन ने यह तर्क देकर अपीलकर्ताओं के दावे का विरोध किया कि एओजे/सीएम के कैडर में अन्य धाराओं से आने वाले पदधारियों के लिए कुछ हद तक झटका ऐसी स्थिति में अपरिहार्य है जहां एक पात्र वर्ग यानी। एसजेए के कैडर में पदोन्नति के लिए जूनियर

अनुवादकों की अनदेखी की गई थी, जो आगे की पदोन्नति के लिए फीडर कैडर है। हालाँकि, सेवारत पदधारियों पर प्रभाव को कम करने के लिए, उच्च न्यायालय प्रशासन ने कनिष्ठ अनुवादकों को लाभ देने के लिए 'मध्यस्थ तिथियों' का सुझाव दिया था, जो उसकी धारणा में, WP (C) संख्या 1218 में पारित आदेश का उचित कार्यान्वयन होगी।

11. उच्च न्यायालय की वही खंडपीठ जिसने डब्ल्यू.पी. (सी) 2004 की संख्या 4077-84, में दिनांक 23.10.2009 को आदेश दिया था। सी.एम. 2010 की संख्या 22133 में अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह की गई याचिका पर विचार किया गया और साथ ही उच्च न्यायालय प्रशासन का रुख देखा गया। दिनांक 01.06.2012 के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सीडब्ल्यूपी 1989 का क्रमांक 1218 में पारित आदेश दिनांक 16.10.1998 के संदर्भ में जूनियर अनुवादकों को 1978 के नियमों के अनुसार चयन द्वारा एसजेए के कैडर में पदोन्नति के लिए विचार किया जाना आवश्यक था। चूँकि अपेक्षित स्तर पर ऐसा नहीं किया गया था। समय के साथ, एओजे/सीएम के उच्च कैडर में ऐसे जूनियर अनुवादकों की पदोन्नति में देरी हुई। खंडपीठ ने आगे कहा कि न्यायालय के दिनांक 16.10.1998 के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधारों की आवश्यकता थी, जो डब्ल्यू.पी. 2004 की संख्या 4077-84 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2009 द्वारा किए गए थे। यह भी देखा गया कि यदि 1978 नियमों के तहत कनिष्ठ अनुवादकों को पदोन्नति उस समय की गई

होती जब ऐसी पदोन्नति देय थी, तो संबंधित पदधारियों को एओजे/के उच्च कैडर में पदोन्नत किया गया होता। अपीलकर्ताओं से बहुत पहले सी.एम. फिर भी, संभावित प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, यह निर्देश दिया गया कि एओजे/सीएम के कैडर में जूनियर अनुवादकों की पदोन्नति लिखित परीक्षा के परिणाम के साथ-साथ साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धांतों पर काल्पनिक आधार पर अंकों की गणना की गई, जिन्हें न्यायसंगत माना गया। चूँकि उच्च न्यायालय के उपरोक्त संशोधित निर्देश भी सेवा में पदधारियों के बीच कुछ असंतुलन पैदा करने की क्षमता रखते हैं, वर्तमान अपील पहले देखे गए आधारों और विवादों पर दर्ज की गई है।

12. माना जाता है कि अपीलकर्ताओं को 2004 के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 4077-84 में दिनांक 23.10.2009 के आदेश से पहले नहीं सुना गया था। निस्संदेह, उक्त आदेश में दिए गए निर्देश एक बार सभी या कुछ अपीलकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। इसके पहले विकल्प. सबसे पहले दिनांक 23.10.2009 के आदेश को वापस लेना और नए सिरे से शुरुआत करना था। दूसरा था सी.एम. पर विचार करते हुए सभी प्रभावित पक्षों को सुनना। 2010 का ही क्रमांक 22133। हमारे लिए, इनमें से कोई भी विकल्प निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता के अनुरूप होता। जो पदार्थ पर होना चाहिए न कि रूप पर। परीक्षण हमेशा यह होगा कि क्या प्रभावित व्यक्ति की बात सुनी गई है। किसी ऐसे व्यक्ति को सुनने से पहले प्रतिकूल

आदेश को मिटाने की कोई अपरिहार्य आवश्यकता नहीं है जिसे गलती से पहले नहीं सुना गया था, स्लेट को हमेशा साफ किया जा सकता है यदि प्रभावित व्यक्ति को सुनने के बाद ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। जब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाता तब तक प्रतिकूल आदेश स्थगित माना जाएगा। वर्तमान मामले में घटनाओं के क्रम को इसी प्रकार समझा जाना चाहिए।

13. वर्तमान मामले में, हमारे अनुसार, आदेश दिनांक 23.10.2009 डब्ल्यू.पी. (सी) क्रमांक 4077-84 ओ 2004 में पारित हुआ। अपीलकर्ताओं को सुनने और उनकी ओर से आग्रह किए गए मामले पर व्यापक विचार के बाद भी वापस बुलाने का औचित्य नहीं रखता है। सी.डब्ल्यू.पी. निर्णय 1989 का क्रमांक 1218 में उच्च न्यायालय का कानून में अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है। उक्त आदेश में वर्ष 1988 को काला करने का प्रभाव है और इसलिए इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए था। कम से कम यह कहा जाए तो इस तरह का कार्यान्वयन धीमा था। कार्यान्वयन की संशोधित योजना, अंतराल के दौरान घटित तथ्यों और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. (सी) 2004 की संख्या 4077-84 में दिनांक 23.10.2009 के आदेश द्वारा प्रयास किया गया था। न केवल कार्यान्वयन सीमित संख्या में पदों तक सीमित था और इसका लाभ केवल कनिष्ठ अनुवादकों तक ही सीमित था, यहां तक कि अन्य श्रेणियों से आने वाले पदधारियों के लाभ के लिए उक्त निर्देशों को और कमजोर कर दिया गया

था। पदोन्नति के लिए कनिष्ठ अनुवादकों की पात्रता को सीमित करके एसजेए की तुलना में। दोनों आदेशों यानी 23.10.1989 और 16.01.2002 में, उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वरिष्ठता का समायोजन पूरी तरह से काल्पनिक होना था और यदि कोई उलटफेर होता, तो उच्च न्यायालय प्रशासन आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र था। दिनांक 23.10.2009 और 01.06.2012 के आदेश उच्च न्यायालय द्वारा कनिष्ठ अनुवादकों को मिलने वाले उन कानूनी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए स्थिति को संतुलित करने के लिए किए गए प्रयास हैं, जो उच्च न्यायालय के निर्णयों से प्राप्त होते हैं, जिनके कार्यान्वयन और न्यायसंगत विचारों की आवश्यकता होती है। अपीलकर्ताओं, जो गलती पर नहीं हैं, के मामलों का न्याय किया जाना आवश्यक है।

14. दावों के दो सेटों को संतुलित करना एक कठिन कार्य था जिसे हमारी राय में उच्च न्यायालय ने सराहनीय रूप से किया है। विवादित आदेश वास्तव में कानून की बाध्यता और समानता के बीच संतुलन बनाते हैं। "कानून, सामाजिक न्याय के एक उपकरण के रूप में, इतिहास के पापों को बेअसर करने के लिए एक लंबा दृष्टिकोण लेता है"। यदि किसी सेवा नियम की संवैधानिकता को "व्यक्तियों के भाग्य की कसौटी पर" नहीं आंका जा सकता है और सेवा नियम बनाने में सर्वोपरि विचार परस्पर विरोधी दावों का समाधान है जैसा कि कमल कांत डी दत्ता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में देखा गया है। हम नहीं देखते कि कैसे कानून में अंतिम

रूप प्राप्त कर चुके न्यायिक आदेशों के कार्यान्वयन के "हल्के संस्करण" के कारण न्यायसंगत अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र को आमंत्रित कर सकता है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही किए गए कार्यों को परेशान नहीं करेंगे और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.06.2012 के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

15. गलती से शुरू की गई प्रक्रिया को उलटने और शुरू किए गए सुधारों को किस चरण में समाप्त किया जाना चाहिए? यह आदेश दिनांक 23.10.2009 (पैरा) 45) प्रत्येक चरण/चरण पर समीक्षा की जानी चाहिए, में निहित है। उन लोगों को भुगतना पड़ा जिन्हें गलत/गलती से पदोन्नत किया गया था। एओजे/सीएम के कैडर में निर्देशित सीमित समीक्षा को सभी उच्च संवर्गों में जारी रखा जाना चाहिए, जिनमें जीएओजे/सीएम के कैडर में प्रारंभिक पदोन्नति के आधार पर पदोन्नति की गई हो सकती है। कोई भी अन्य दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण से असंगत होगा। भारत संघ एवं अन्य बनाम के.बी. राजोरिया में व्यक्त किया गया, के साथ जिस पर हम सम्मानजनक सहमति रखते हैं। "कृष्णमूर्ति को काल्पनिक पदोन्नति उस गलती को सुधारने के लिए दी गई थी जो 22-2-1995 को उनके अधिक्रमण द्वारा उनके साथ की गई थी। यदि कृष्णमूर्ति को इस तरह के आधार पर महानिदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार से वंचित किया जाता है काल्पनिक पदोन्नति। विशेष रूप से जब

प्रासंगिक प्रावधान ऐसा प्रदान करते हैं, तो इसका परिणाम उसके साथ किए गए गलत को बरकरार रखना होगा। उच्च न्यायालय ने बिल्कुल यही किया है।"

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील वर्तमान आदेश में निहित टिप्पणियों और निर्देशों के साथ खारिज की जाती है, लेकिन लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना।

2012 की सिविल अपील संख्या 5839

17. वर्तमान अपील में अपीलकर्ता (आवेदक जिसने सी.एम. संख्या 7841/2011 स्थापित किया था) डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 4077-84/2004 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2009 के कार्यान्वयन की मांग करता है और आक्षेपित आदेश दिनांक 01.06.2012 के द्वारा उक्त आदेश में किए गए संशोधनों से व्यथित है।

18. सिविल अपील संख्या 5838/2012 में आज पारित अलग-अलग आदेशों द्वारा, दिनांक 01.06.2012 के आक्षेपित आदेश की पुष्टि की गई है। अपीलकर्ता भी इस बीच सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है। इन परिस्थितियों में यह अपील सिविल अपील क्रमांक 5838/2012 में पारित आदेश के अनुसार बंद की जाती है।

2014 की सिविल अपील संख्या 11197 (एसएलपी (सी) संख्या 3202/2014 से उत्पन्न)

19. अनुमति प्रदान की गई यह अपील दो व्यक्तियों द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं (अतुल कुमार शर्मा और अन्य) के साथ समानता का दावा करते हुए दायर की गई है, जिसे शुरुआत में उच्च न्यायालय ने दिनांक 6.5.2011 के आदेश द्वारा प्रदान किया था जिसे अब दिनांक 1.6.2012 के आदेश द्वारा वापस ले लिया गया है।

20. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.1.2012 अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए दावों के आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों पर विस्तृत विचार पर आधारित है। उच्च न्यायालय ने माना है कि दोनों अपीलकर्ता पात्र नहीं थे।

रिट याचिकाकर्ताओं (अतुल कुमार शर्मा और अन्य) के बराबर रखे जाने के लिए। उच्च न्यायालय के उक्त निष्कर्ष पदधारियों की नियुक्तियों की तारीखों पर विचार करने पर निकाले गए हैं; एसजेए के कैडर में उनकी परिणामी पदोन्नति; और चयन में एओ(जे)/सीएम के पद पर उनकी सफलता/परिणाम और भी अधिक होंगे। इसलिए, हमें उच्च न्यायालय के दिनांक 01.6.2012 के आदेश के प्रासंगिक भाग सी में कोई त्रुटि नहीं मिली जिससे हस्तक्षेप को उचित ठहराया जा सके। हम तदनुसार अपील खारिज करते हैं।

<u>आदेश</u>

2012 की सिविल अपील संख्या 5838 और अन्य संबंधित मामलों

में पारित निर्णय दिनांक 15 दिसंबर, 2014 में, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 13 (पेज नंबर 17 पर) में उल्लिखित दिनांक 23.10.1989 को 23.10.2009 के रूप में पढ़ा जाएगा और दिनांक '16.01.2002' पैराग्राफ 13 (पेज संख्या 17 पर) में उल्लिखित है और दिनांक '16.1.2012' पैराग्राफ 20 (पेज 21 पर) में उल्लिखित है और दिनांक '010.6.2012' अंतिम पृष्ठ में उल्लिखित है (उक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या 22) को 01.06.2012 के रूप में पढ़ा जाएगा।

अपीलें खारिज.

"के.के. शर्मा के मामले में आगामी आदेश दिनांक 22.01.2015 पारित किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक सुमन गिठला (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।